



2026:AHC: 16708

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 44398/2025

विक्रमा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कृपा शंकर शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका में मांगी गई एकमात्र राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, औराई, जनपद भदोही को वाद संख्या 11794 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202516670611794) (विक्रमा बनाम मनीष कुमार एवं अन्य) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने के लिए है।
- 3- अभिलेख के परिशीलन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है, और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उपरोक्त मामले को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2025 में ही दायर किया गया है।
- 4- उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ताओं को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, औराई, जनपद भदोही से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, **विधि के अनुसार कड़ाई से** उपरोक्त वाद का निर्णय करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।
- 5- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जनवरी, 2026

सकलेन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।